फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व विविध जीसीएमएस नंबर 2023/254 बअनवान दिलीपसिंह बनाम मानसिंह

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
19/05/26	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी श्री भैराराम चौधरी उपस्थित। वकील अप्रार्थी को जवाब हेतु पर्याप्त समय अवसर दिये जाने के बाजवूद जवाब पेश करने में विफल रहने पर इनका जवाब अवसर बंद किया जाता है। वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड के अध्ययन से ज्ञात है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम दांतीवाडा के खसरा नंबर 142/2, 15, 201/2, 461/2, 461/5, 461/9 कुल खसरा 06 कुल रकबा 4.0200 हैक्टर बाबत घोषणा खातेदारी व सार्वकालिक निषेधाज्ञा का वाद लंबित है तथा प्रार्थना पत्र प्रस्तुती के समय भूमि पुश्तैनी मानते हुये प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में मानते हुये दिनांक 16.10.2023 को प्रार्थी के पक्ष में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। जो स्थगन आदेश आदिनांक तक प्रभावी है तथा उक्त स्थगन से अप्रार्थी को किसी प्रकार की असुविधा भी नही है। जिससे मूल वाद के निर्णय तक दिनांक 16.10.2023 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश को मूल वाद के निर्णय तक पुख्ता किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.) सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली	